प्रेस विज्ञप्ति

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

08 जुलाई **2019**

2019 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 01 - "मनोरंजन क्षेत्र में निर्धारितियों के निर्धारण"पर निष्पादन प्रतिवेदन आज संसद में प्रस्तुत

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं 1 'मनोरंजन क्षेत्र में निर्धारितियों के निर्धारण' आज संसद में प्रस्तुत किया गया।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा मनोरंजन क्षेत्र में निर्धारितियों के निर्धारणपर निष्पादन लेखापरीक्षा की गई थी। इस निष्पादन लेखा परीक्षा मे 2013-14 से 2016-17 की अवधि के दौरान मनोरंजन क्षेत्र के मुख्य उप क्षेत्रों जैसे टेलिविजन,रेडियो, संगीत, कार्यक्रम प्रबंधन, फिल्म, एनिमेशन और दृश्य प्रभाव, प्रसारण, खेल और मनोरंजन में पूरे किए गए निर्धारितियोंके संवीक्षा निर्धारण, अपील और सुधार मामले सम्मिलित हैं।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

हमने वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2016-17 के दौरान आयकर विभाग द्वारा पूर्ण किए गए संवीक्षा निर्धारणों को शामिल किया। आयकर विभाग द्वारा इस अवधि में किए गए कुल 13,031 निर्धारणों में से, हमने इस निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान ₹ 47,979.44 करोड़ की आय के निर्धारण करने के साथ 6,516 निर्धारण अभिलेखों (लगभग 50 प्रतिशत) की जांच की। हमने ₹ 2,267.82 करोड़ के कर प्रभाव वाले प्रणालीगत एवं अनुपालन मुद्दों से संबंधित 726 उदाहरणों (लेखापरीक्षा किए गए नमूनों का लगभग 11 प्रतिशत) को देखा, जिसके कारण सरकार को राजस्व की हानि हुई । चूँकि हमने अपने नमूनों के अनुसार निर्धारण मामलों/अभिलेखों की एक सीमित संख्या को देखा है, मंत्रालय को न केवल नमूने के मामलों में बल्कि इसकी संपूर्णता में इसे सत्यापित करने की आवश्यकता है।

कुछ निष्कर्ष नीचे दिये हुए हैं:

मनोरंजन क्षेत्र के कई भाग जैसे खेल, कार्यक्रम प्रबन्धन, आर्टिस्ट्स, एनीमेशन, केबल कारोबार आदि को बिजनैस कोड 906 [अन्य (मनोरंजन क्षेत्र)] के अंतर्गत इकट्ठा किया गया है, निर्धारितियों का खंड विशिष्ट शोधन संवीक्षा और निगरानी उद्देश्यों के अंतर्गत चयन हेतु संभव नहीं है।

(पैरा 2.1)

निर्धारिती की महत्वपूर्ण जानकारी आय कर विभाग (आईटीडी) के विभिन्न प्रभारों के बीच साझा नहीं की गई थी,जिसके कारण निर्धारण की गुणवत्ता प्रभावित हुई। यहां तक कि नकद लेन-देनों की जानकारी जोकि बेहिसाबी आय का मुख्य स्रोत हैं को ऐसे लेन-देनों के आगे के सत्यापन हेतु आईटीडी के अन्य प्रभारों को भी नहीं दी गई थी।

(पैरा 2.2.1 और 2.2.2)

समर्पित इकाईयों में फिल्म और टेलीविजन उद्योग के सभी निर्धारितियों का निर्धारण करने के लिए विशिष्ट फिल्म सर्कल/वार्ड बनाये जाने के बावजूद निर्दिष्ट सर्कल/वार्ड में उनका निर्धारण करने के लिए आईटीडी द्वारा पर्याप्त प्रयास नहीं किये गये थे।

(पैरा 2.2.3)

आईटीडी ने अन्य केंद्रीय और राज्य सरकार विभागों से डाटा के एकत्र करने और विश्लेषण करने के लिए उपलब्ध स्रोतों का प्रयोग प्रभावी रूप से नहीं किया।

(पैरा 2.3)

यद्यपि सर्वेक्षण कर आधार को मजबूत करने के साथ-साथ अपवंचन के प्रति निवारण हेतु प्रभावी साधन हैं,परंतु कुछ राज्यों में इनको प्रयोग नहीं किया गया था।

(पैरा 2.4)

विदेशी लाइन निर्माता को किये गये निर्माण लागत भुगतान के संबंध में भारतीय फिल्म प्रोडक्सन हाऊस द्वारा किए गए दावे के रूप में व्यय का सत्यापन निर्धारण प्रक्रियाओं के दौरान बिल्कुल भी नहीं किया गया था।

(पैरा 3.1.1)

विदेशी सरकारों से इंडियन फिल्म प्रोडक्सन हाऊस द्वारा प्राप्त किये गये प्रोत्साहन/अनुदान के सत्यापन निर्धारण के दौरान नहीं किये गये थे।

(पैरा 3.1.2)

मनोरंजन क्षेत्र की परस्पर सम्बन्धित पार्टियां विभिन्न लेखापद्धतियों का प्रयोग करती हैं जिसके कारण उनके द्वारा किए गए लेन देनों का उचित प्रतिसत्यापन प्रभावित हुआ।

(पैरा 3.2.1)

अति प्रवाह और फिल्म निर्माताओं द्वारा विभिन्न फिल्म अधिकारों से प्राप्त राजस्व के विवरण की जांच करने के लिए कोई निगरानी तंत्र नहीं है।

(पैरा 3.2.2)

विदेशी लाइन निर्माताओं को किए गए भुगतानों के संबंध में कर रोकने के प्रावधानों को लागू करते समय एकरूपता का अभाव था।

(पैरा 3.3)

तथ्यों और परिस्थितियों की प्रकृति समान होने के बावजूद निर्धारण अधिकारियों द्वारा कार्य पूर्व खर्च की अनुमति देने में एकरूपता नहीं थी।

(पैरा 3.4)

आईटीडी द्वारा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की फ्रेंचाइजी इंडियन प्रीमीयर लीग (आईपीएल) द्वारा अदा की गई फ्रेंचाइजी फीस को अनुमत करने में कोई एकरूपता नहीं थी।

(पैरा 3.6)

फार्म 52ए में प्राप्तकर्ता के पैन के समावेश हेतु मंत्रालय द्वारा सिफारिश की स्वीकृति (हमारी 2010-11 की पूर्वकालीन प्रतिवेदन सं. 36 में दी गई) के बावजूद, इस संबंध में आईटीडी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।

(पैरा 3.7)

कटौती/व्यय/बट्टे खाते में डाले गये भत्ते और हानि/मैट के अग्रेषण आदि से संबंधित प्रावधानों का आईटीडी द्वारा उचित रूप से पालन नहीं किया गया था।

(पैरा 4.3 से 4.7)

सिफारिशें

सीएजी सिफ़ारिश करते हैं कि:

क. आयकर विभाग निर्धारणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु विभाग में उपयोगी सूचना को साझा करने तथा प्रति जांच हेतु मौजूदा तंत्र को सुदृढ़ करें।

सीबीडीटी ने उत्तर दिया (जून 2018) कि तंत्रको बेहतर बनाने/सुधार हेतु सुझाव नोट कर लिया है।

ख. सीबीडीटी निर्धारितियों द्वारा उनकी आयकर विवरणी में दर्शाए गए राजस्व संग्रहण के आंकड़ों की प्रति जांच के लिए बाह्य एजेंसियों जैसे केंद्र/राज्य के राजस्व विभागों/प्राधिकरणों से प्रभावपूर्ण ढंग से समन्वय स्थापित करें।

सीबीडीटी ने उत्तर दिया (जून 2018) कि राज्य/केंद्र सरकार में अन्य संभावित भागीदारों के साथ डाटा विनिमय बेहतर बनाने/सुधार करने के लिए सुझाव नोट कर लिया है।

ग. सीबीडीटी सुनिश्चित करें कि फिल्म तथा टेलीविजन उद्योग से संबंधित मामलों का निर्धारण फिल्म सर्कलों/वार्डों में किया जाए ताकि संबंधित संव्यवहारों की प्रति जांच की जा सके तथा राजस्व रिसाव रोका जा सके।

सीबीडीटी ने उत्तर दिया (जून 2018) कि फिल्म तथा मनोरंजन क्षेत्र के मामलों के केंद्रीकृत पद्धति से एक ही स्थान पर निर्धारण के लिए मुख्य स्टेशनों जैसे मुंबई,चेन्नई तथा हैदराबाद में पहले ही पृथक फिल्म सर्कलों का निर्माण किया गया है।

यह उत्तर लेखापरीक्षा सिफारिश का समाधान नहीं करता क्योंकि निर्धारितियों की एक बड़ी संख्या का फिल्म सर्कलों/वार्डों से बाहर निर्धारण् किया जा रहा है।

घ फॉर्म 52ए के प्रभावी उपयोग के संबंध में, सीबीडीटी निम्नलिखित पर विचार करें:

i. सभी फिल्म निर्माताओं से फॉर्म 52ए की प्राप्ति अग्रसक्रिय रूप से करने हेतु

ii. मनोरंजन उद्योग के अन्य सम्मिलित उप-क्षेत्रों अर्थात वृतचित्र निर्माता, कार्यक्रम प्रबन्धन फर्मो/कम्पनियों आदि में संलग्न निर्धारितियों के लिए फॉर्म 52ए द्वारा प्रदर्शित आवश्यकता को बढ़ाने पर

iii. फिल्म निर्माताओं से भुगतान प्राप्त करने वाले आदाताओं का पैन सम्मिलित करने के लिए फार्म 52ए का प्रारूप बदलने पर

iv. विभिन्न फिल्म अधिकारों/ अतिप्रवाह (अधिशेष प्राप्तियाँ) से फिल्म निर्माताओं द्वारा अर्जित प्राप्तियों के विवरण का अभिग्रहण करना

v. फॉर्म 52ए के प्रारूप के अनुसार मांगे गए सभी ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए इसे अनिवार्य बनाने पर

vi. उन निर्धारितियों के संदर्भ में जो लेखाकरण के नकद/वाणिज्यक आधार का अनुसरण कर रहे हैं, प्राप्तियों के दोहरे सत्यापन को सुविधाजनक बनाने के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान वास्तव में भुगतान की गई राशियों तथा फॉर्म 52ए भरने की तिथि तक भुगतान हेतु बकाया राशियों के ब्यौरो को पृथक रूप से प्रस्तुत करने के लिए इसे आवश्यक बनाने पर

सीबीडीटी ने उत्तर दिया (जून 2018) कि फॉर्म 52ए के प्रारूप की लेखापरीक्षा द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार जांच की जाएगी और उसे संशोधित किया जाएगा।

ङ सीबीडीटी यह सुनिश्चित करे कि कटौती/व्ययों/समंजन और अग्रेनीत हानि /एमएटी आदि की अनुमति के संबंध में आयकर अधिनियम में निर्दिष्ट प्रावधानों/शर्तों का निर्धारण की गुणवत्ता में सुधार के लिए निर्धारण अधिकारियों द्वारा उचित रूप से पालन किया जाता है।

सीबीडीटीनेसिफारिशोंपरसहमतहोतेहुए (जून 2018) बताया किआयकर व्यापार एपलीकेशन (आईटीबीए) के कार्यान्वयन के बाद, निर्धारण अधिकारी द्वारा कर योग्य आय की गणना के लिए वृद्धियों/अस्वीकृत्यों को करते समय अधिक विस्तृत और व्याख्यात्मक दृष्टिकोण का पालन करना आवश्यक है।

च सीबीडीटी निर्धारण मोड्यूल के माध्यम से कर माँग को स्वत: उत्पन्न करने और कर एवं ब्याज की संगणना में पुनरावर्ती और अपरिहार्य चुकों का सत्यापन करने के लिए निर्धारण के सभी स्तरों पर इसे निर्धारण अधिकारियों के लिए अनिवार्य करे ताकि आय और ब्याज गणना में चुको की पुनरावृति को टाला जा सके।

सीबीडीटी ने सिफारिशों पर सहमत होते हुए (जून 2018) बताया किआईटीबीए के माध्यम से निर्धारण आदेशों को पारित करने के लिए एओ के लिए अनिवार्य कर दिया गया है जिसमें कर और ब्याज की संगणना में अंक गणितीय चूक से बचने के लिए स्वत: जाँच और सत्यापन है।